आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

29.7.17

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 265/2016–17

अंचल अधिकारी, अररिया – प्रथम पक्ष

बनाम

मो0 नासिर हुसैन ई0, पिता–हासीम, सा0–जीरोमाईल, अनुसूचित जाति/जनजाति थाना के निकट, थाना+जिला–अररिया – विपक्षी

आदेश

प्रस्तुत वाद अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक 909/भू0सु0, दिनांक 24.09.2016 द्वारा अंचल अधिकारी, अररिया के पत्रांक 3224, दिनांक 22.09.2016 से प्राप्त जमाबंदी रद्दीकरण अभिलेख सं0 02/2016–17 (अंचल–अररिया) निम्न विवरण की जमीन का दर्ज जमाबंदी सं0 4014 को रद्द करने की अनुशंसा सहित इस न्यायालय को प्रेषित किया गया है।

वादग्रस्त का विवरण

जमाबंदी रैयत का नाम	मौजा	खाता	खेसरा	संधारित रकवा	रद्दीकरण हेतु प्रस्तावित रकवा
मो0 नासिर ई0, पिता–हासीम, सा0–जीरोमाईल	हड़िया थाना नं0 196	388	1033	1.00 ए0	1.00 ए0 जमाबंदी सं0 4014

विपक्षी को न्यायालय द्वारा निबंधित डाक से सूचना निर्गत की गई। उनकी ओर से विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात अभिलेख को आदेश पर रखा गया।

विपक्षी के प्रतिउत्तर के अनुसार प्रश्नगत भूमि क्रेता विक्रम कुमार ने बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 9196, दिनांक 17.09.2002 द्वारा विक्रेता मो0 इलाही एवं अन्य, सा0–हड़ियाबाड़ा से विक्रय मूल्य अदा कर क्रय किया गया है। क्रय के पश्चात् अपने नाम दाखिल–खारिज कराकर शांतिपूर्ण दखल–काबिज हुआ। प्रश्नगत भूमि विक्रेता को मरोसी हासिल है। क्रेता विक्रम कुमार से विपक्षीगण नासिर हुसैन, पिता–हासीम, मो0

मामुन अहमद एवं मो0 सब्दर अहमद को बजरिये निबंधित डीड सं0 2257, दिनांक 07.03.2008 द्वारा प्रश्नगत भूमि उनके द्वारा क्रय की गई है, जो न्यायसंगत एवं लिगल क्रय है। किन्तु वर्त्तमान जमाबंदी वाद सिर्फ नासिर हुसैन के विरूद्ध लाया गया है जो निर्वहन योग्य नहीं है। विपक्षी का प्रश्नगत भूमि पर स्वत्व कायम है तथा लगभग 9 वर्षों से जमीन पर दखलकार है।

विपक्षी का यह भी कहना है कि विक्रेता से भूमि क्रय के पश्चात् दाखिल–खारिज हेतु अंचल अधिकारी के कार्यालय में आवेदन दाखिल किया गया। अंचलाधिकारी, अररिया द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए उनके दाखिल–खारिज आवेदन की स्वीकृति दी गई तथा जमाबंदी दर्ज होकर लगान रसीद उनके पक्ष में अद्यतन निर्गत होता आ रहा है। प्रश्नगत भूमि का 45 ए0 भूमि बिहार सरकार के नाम गलत रूप से इन्द्राज किया गया है, वास्तविकता यह है कि उक्त भूमि वास्तविक खतियानी रैयतों की है और खतियानी रैयतों के द्वारा बिहार सरकार के विरूद्ध सब जज प्रथम, अररिया के न्यायालय में स्वत्व वाद सं0 176/313 / 2016 दाखिल किया गया है, जो व्यवहार न्यायालय में लंबित है और स्वत्व के निष्पादन तक विपक्षी के दर्ज जमाबंदी को निरस्त करने की शक्ति न तो अंचलाधिकारी को और न ही सरकार के अन्य अधिकारी को है। बिहार सरकार द्वारा रैयती भूमि पर दावा नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर विपक्षी का दखल और अद्यतन लगान रसीद निर्गत होता आ रहा है, जिसके विरूद्ध जमाबंदी को चुनौती दिया जाना नियम के विरूद्ध है। इस प्रकार अंचलाधिकारी, अररिया द्वारा विपक्षी के जमाबंदी को चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्योंकि विपक्षी के विक्रेता वादग्रस्त भूमि पर शांतिपूर्वक दखल काबित रहते हुए अद्यतन लगान रसीद प्राप्त किया है। अतः इस जमाबंदी रद्दीकरण वाद को खारिज करने का अनुरोध करते है।

अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों, निम्न न्यायालय के अभिलेखों के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत खेसरा 1033 का नक्सा अनुसार कुल रकवा 129.00 एकड़ है, जिसका खतियानी रकवा 83.00 एकड (उत्तर से) है। शेष अधिशेष रकवा 49.30 एकड़ (दक्षिण से) है। अपर समाहर्त्ता–सह–विशेष पदाधिकारी, राजस्व पूर्णियाँ के वाद सं0 986/1968–69 / 6708/1965 दफा 108 आदेश दिनांक 31.10.1969 के अनुसार मौजा–हड़िया, थाना नं0 196, खाता 388, खेसरा 1033 की भूमि में से कुल रकवा 49.30 एकड़ (दक्षिण से) बिहार सरकार खाते में दर्ज करने का आदेश पारित है। जिसके तहत रकवा 49.30 एकड़ भूमि को छोड़कर शेष रकवा 83.00 एकड़ (उत्तर भाग से) का रैयती खतियान बना। उत्तर भाग की रैयती की भूमि में नहर एवं Village Channel गुजरती है, जिसका मुआवजा राशि खतियानी रैयत एवं उनके वारिशानों द्वारा प्राप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त भूदान में भी मूल रैयतों द्वारा जमीन दी गई है, जो उत्तर भाग में शामिल है। इस प्रकार उत्तर भाग की 83 एकड़ भूमि रैयतों ने अपने दखल में रखते हुए

भूमि बिक्री किया तथा बाद में बिहार सरकार की भूमि 49.30 एकड़ में से भी बिक्री करते गये। बिहार सरकार की 49.30 एकड़ में से उपरोक्त विवरण की 1.00 एकड़ भूमि अवैध रूप से विपक्षी क्रेता नासिर हुसैन एवं अन्य के नाम बिक्री होकर नामान्तरण उपरांत जमाबंदी सं0 4014 दर्ज है। अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया के आदेशानुसार अंचल अमीन/प्रभारी अंचल निरीक्षक के साथ स्थल की नापी कराकर बिहार सरकार घोषित रकवा 49.30 एकड़ का सीमांकन कर चिन्हित किया गया। उपरोक्त क्रेताओं की अंकित भूमि रकवा 1.00 एकड़ सीमांकित बिहार सरकार की भूमि के अन्तर्गत पड़ता है। फलस्वरूप संधारित जमाबंदी सं0 4014 को रद्द करने का अंनुशंसा अंचलाधिकारी, अररिया द्वारा की गई है। जहाँ तक स्वत्व वाद सं0 176/313 / 2016 का प्रश्न है तो उससे संबंधित कोई साक्ष्य विपक्षीगणों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। जिससे स्पष्ट हो सके कि अपर समाहर्त्ता–सह–विशेष पदाधिकारी, राजस्व पूर्णियाँ के आदेश को चुनौती दी गई है और न ही निबंधित दस्तावेज की प्रतिं ही उपलब्ध कराई है। साथ हीं साथ प्रश्नगत भूमि बिहार सरकार के खाते की है, जिसका क्रय–विक्रय तथा नामान्तरण होकर जमाबंदी दर्ज होना नियम के विरूद्ध है। यह भूमि सरकारी उपयोग हेतु सुरक्षित रखा जाना है।

अभिलेख के साथ संलग्न हल्का कर्मचारी का प्रतिवेदन, अमीन का नापी प्रतिवेदन/ट्रेस मैप के अवलोकन से स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष द्वारा अवैध तरीके से निबंधित दस्तावेज से क्रय की गई भूमि का बिहार सरकार के नाम घोषित रकवा 49.50 एकड़ के अन्तर्गत पड़ता है। उक्त भूमि की जमाबंदी क्रेतागण के नाम दर्ज होना कानून के स्थापित सिद्धान्त एवं बिहार भूमि नामांतरण अधिनियम की धारा 6 के विरूद्ध है। यह भूमि सरकारी उपयोग हेतु सुरक्षित रखने योग्य है। वादग्रस्त जमीन बिहार सरकार की खास भूमि है, जिसका क्रय–विक्रय सर्वथा गलत एवं अवैध है। साथ ही साथ क्रेता के विक्रेता विक्रम कुमार का वादग्रस्त भूमि के अन्तर्गत रकवा 3.35 ए0 भूमि का दर्ज जमाबंदी सं0 2385 को भी इस न्यायालय द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 265/2016–17 द्वारा रद्द किया जा चुका है।

अतः उक्त परिपेक्ष्य में अंचलाधिकारी, अररिया/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया के अनुशंसा, नापी प्रतिवेदन तथा अपर समाहर्त्ता–सह–विशेष पदाधिकारी, राजस्व पूर्णियाँ के पारित आदेश के आलोक में उक्त भूमि **मौजा–हड़िया, थाना नं0 196, खाता सं0 388, खेसरा सं0 1033, रकवा 1.00 एकड़ का मो0 नासिर हुसैन ई0, पिता–मो0 हासिम, सा0–जीरोमाईल, अनुसूचित जाति/जनजाति थाना के निकट, थाना+जिला–अररिया के नाम दर्ज की गई जमाबंदी सं0 4014 जो बिहार सरकार के खास खाता के अन्तर्गत है, की दर्ज जमाबंदी को रद्द किया जाता है।** अंचलाधिकारी, अररिया को आदेश दिया जाता है कि वर्णित जमाबंदी रकवा 1.00 एकड़ को बिहार सरकार के मूल जमाबंदी में शामिल कर दें।

पारित आदेश की प्रति अनुपालनार्थ अंचल अधिकारी, अररिया को अनुपालनार्थ भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

अपर समाहर्त्ता, अररिया	अपर समाहर्त्ता, अररिया

ज्ञापांक 104 / रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 29 / 07 / 2017
प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

29.7.17

अपर समाहर्त्ता,
अररिया

NIC · Aur